कारण नाइट्रोजन और सल्फर की आक्साइडें हैं ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई जांच के अनुसार, सल्फर और नाइट्रोजन की आक्साइड के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है हालांकि केवल शीतऋतु में इसके जमाव में सामान्य वृद्धि होती है किन्तु इस सीमा तक नहीं कि संगमरमर और पलस्तर को हानि पहुंचे ।

ताजमहल को प्रदूषकों से बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) 1981 में दो धर्मल पावर संयंत्रों को बन्द कर दिया गया है ।

(ii) आगरा के रेलवे स्टेशन यार्ड में डीजल का प्रयोग आरम्भ कर दिया गया है ।

(iii) उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग ने वृक्षारोपण द्वारा ताजमहल के आसपास हरी पट्टी बिछा दी है ।

(iv) राज्य सरकार आगरा में प्रदूषहण स्तर पर निगरानी रख हुए है ।

(v) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लगातार ताजमहल के पास पास के वायुमंडल पर निगरानी रखे हुए हैं ताकि सल्फर डाई आक्साइड छितरे हुए कण पदार्थों तथा अन्य प्रदूषकों के साथ-साथ मौसम संबंधी आंकड़ों के स्तरों का मूल्यांकन किया जा सके, जिससे आवश्यकतानुसार इस प्रकार के उपचारी उपाय किए जा सकें ।

Report of Haksar Committee on National Academies

1533. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Haksar Committee on National Academies has submitted its report;

(d) by when the accepted recommmendations of the Report;

(c) the details of recommendations Government have accepted; and

(d) by when the accepted reocmmendations are likely to be implemented?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The details of main recommendations of the Haksar Committee, specifying those which have been accepted, is given in the Annexure. [*See* Appendix CLXI, Annexure No. 45]

(d) Once Government have completed the examination of all the recommendations, a comprehensive statement on the Government's decisions will be placed before the Parliament. Thereafter the process of implementation of accepted reommendations will begin.

गांवों में स्टेडियम और खेल के मैदानों का निर्माण

1534. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खेल विकास योजना के अंतर्गत भारत के किन-किन गांवों में खेलकूद के साधन दिए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार गांवों में क्रीड़ांगनों और खेल के मैदानों के निर्माण हेतु कोई अनुदान देने का विचार रखती है ; और

(ग) गावों में क्रीड़ांगनों और खेल के मैदानों के निर्माण के लिए सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं ?

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) ग्रामीण विद्यालय और गांवों के नाम संलग्न अनुपत्र में दिए गये हैं । [**देखिए** परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 46]

(ख) जी, हां ।

(ग) विभाग की "राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान" की योजना के अन्तर्गत स्टेडियमों के निर्माण तथा खेल-मैदानों के विकास के लागत की 50% तक केन्द्रीय सहायता दी जाती है जो अधिकतम क्रमश: 5.00 लाख (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 12.50 लाख) तथा 50,000/- (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 75,000/-) रुपये हो सकती